तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** **उपस्थित :** श्री वैभव कृष्ण पारीक, अभिभाषक प्रार्थी । श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 श्री गिरीश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी सं.2 से 5 **आदेश** यह पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षण याचिका के अनुसार तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.2 से 5 के विरूद्ध एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक के समक्ष अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना बाबत् मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे उपखंड अधिकारी टोंक ने अपने आदेश दिनांक 20–7–2004 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने पुनरीक्षण याचिका में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादी ने दावा दायरी से पूर्व ही प्रतिवादी सं.5 के बडे भाई ने बैरवा समाज बिछारसी ने राजीनामा करवाकर 100–100/–रूपये के स्टांप पर इकरारनामा लिखवाकर पक्षकारान को दे दिया। अब वादी सम्पूर्ण विवादित आराजी पर काबिज नहीं है बल्कि मात्र 104 फूट चौधरी एवं 336 फूट लम्बी पट्टा पर ही इकरारनामें अनुसार काबिज है एवं मौके पर शेष रकबे पर प्रतिवादी सं. 5 से 7 मय जगदीश काबिज है। मौके पर दो फूट उंची डोल बनी है जिसे देखने पर विभाजन नजर आता है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा प्रकरण का सही एंव प्रभावपूर्ण निस्तारण हो सके और कोई पक्ष प्रकरण की विषय वस्तु को खुर्द–बुर्द कर भौति स्थिति में बदलाव नहीं कर सके, इसके लिये न्यायहित में मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है। मौका रिपोर्ट प्रकरण के सहीं निस्तारण में प्रभावी हो सकती है तथा मौका रिपोर्ट को रिकोर्ड पर लेने से किसी पक्षकार को कोई क्षति भी नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनमाने तरीके से खारिज किया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट रिकोर्ड पर लेने से प्रकरण की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पडता है और न ही इससे अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र संक्षिप्त, अस्पष्ट एवं बिना कोई ठोस कारण अंकित किये खारिज किया है। अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने 2008 डीएनजे–2 पेज 959, 908, 2021 आरआरटी–2 पेज 1063, 2014–15 स्पलीमेंट्री आरआरटी पेज 498, 2016 आरआरटी–1 पेज 563, 2016 आरआरटी–2 पेज 904 आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अभिकथन किया कि प्रार्थी मौका कमिश्नर प्रार्थना पत्र की आड में विवादित आराजी के कब्जे बाबत् साक्ष्य एकत्रित करना चाहता है। जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तथ्य स्वंय को अपने स्तर से साबित करना पडता है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा सही रूप से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः पुनरीक्षण याचिका खारिज की जावे। अप्रार्थी सं.2 से 5 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतरिम आदेश है जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका चलने योग्य नहीं है। उक्त तर्क का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने कहा कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने से वह अंतरिम आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः पुनरीक्षण याचिका चलने योग्य है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण, वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के हिस्से पर कब्जा बाबत् अभिकथित तथ्य को गलत सिद्ध करने के लिये प्रार्थी मौका रिपोर्ट मंगवाना चाहते है। मौका कमिश्नर नियुक्त करना न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है और अगर किसी प्रकरण में न्यायालय मौकाकमिश्नर नियुक्त करना उचित नहीं समझता है तो किसी भी पक्षकार द्वारा एक अधिकार के रूप में मौका कमिश्नर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नियुक्त नहीं कराया जा सकता है। मौका कमिश्नर नियुक्त कर न्यायालय को किसी पक्ष विशेष की तरफ से साक्ष्य एकत्रित नहीं करनी चाहिये अपितु पक्षकारान को स्वयं अपने स्तर से समुचित साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिये। वैसे भी पक्षकार को अपना प्रकरण स्वयं दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करना होता है और अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने के लिये न्यायालय की तरफ नहीं देखना चाहिये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् मौका कमिश्नर सिर्फ अप्रार्थी के कब्जे के दावे को गलत सिद्ध करने हेतु अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से लाया जाना प्रतीत होता है। जिसको खारिज करने में उपखंड अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि कारित नहीं की गई है। हालांकि व्यथित आदेश दिनांक 20–7–04 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी टोंक द्वारा उक्त आदेश कारण सहित पारित नहीं किया गया है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र केवल संक्षिप्तः खारिज किया गया है। किंतु उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौका कमिश्नर की नियुक्ति हेतु पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था। अतः केवल मात्र इस आधार पर आक्षेपित आदेश में पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार यह स्पष्ट है कि विद्वान उपखंड अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्य सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गयी है, जिसमें पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से एतदद्वारा खारिज की जाती है। न्यायालय उपंखड अधिकारी टोंक को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में किसी भी प्रार्थना पत्र को निस्तारण करते समय अपने आदेश में ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(अविनाश चौधरी)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

निगरानी / टीए/ 3262/ 2004 / जिला टोंक
रामकुंवार वगैरह बनाम जगन्नाथ वगैरह